न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025 / 128 **दायरा दिनांक : 01.07.2025**

उनवान

अनिता पुत्री बंशीलाल पत्नी कैलाश चन्द, जाति मेहर, निवासी बोरखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड हाल निवासी सुवांसरा, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1. मांगू बाई बेवा बंशीलाल, जाति बलाई पत्नी मुन्नालाल, जाति मेहर, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
2. अशोक नाबालिक पुत्र कालू लाल द्वारा संरक्षक माता गुड्डी बाई जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
3. गुड्डी बाई पत्नी स्व0 कालूलाल, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
4. गुड्डी बाई नाबालिक राघुलाल संरक्षक माता पुरी बाई, जाति बलाई निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
5. घनश्याम नाबालिक पुत्र कालू लाल द्वारा संरक्षक माता पुरीबाई, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
6. नरेश लाल नाबालिक पुत्र राघुलाल, द्वारा संरक्षक माता पुरी बाई, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
7. पुरा बाई पत्नी स्व. राघुलाल, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
8. मोहन लाल पिता ऊदा, जाति बलाई, निवासी रावनगुराडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
9. रामी बाई नाबालिक पुत्री राघुलाल द्वारा संरक्षक माता पुरीबाई पत्नी स्व0 राघुलाल, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
10. श्यामु बाई पुत्री स्व0 राघुलाल, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
11. श्यामलाल पिता स्व0 राघुलाल, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
12. सोनू बाई नाबालिक पुत्री कालू लाल द्वारा संरक्षक माता गुड्डी बाई, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 16.01.2026**

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – 44/2022 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिया अपीलांटा ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गोलखेडी, पटवार क्षेत्र कोल्वी, तहसील गंगधार की जमाबंदी खाता संख्या 179 में कृषि भूमि खसरा नं. 479 रकबा 0.2150 हेक्टर तथा खसरा नं. 491 रकबा 0.2656 हेक्टर कुल रकबा 0.4806 हेक्टर आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगधार ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2025 से साक्ष्य के अभाव में वादिया का वाद अस्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी कुल दो किता की 0.4806 हेक्टर में अपीलांट के पिता बंशीलाल का 1/4 हिस्सा था और उसकी मृत्यु दिनांक 12.08.2017 को हो जाने से बंशीलाल का 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण अपीलांट एक मात्र पुत्री होने के कारण उसके हक में तस्दीक किया जाना था परन्तु तहसीलदार गंगधार द्वारा बिना जांच पडताल किये बंशीलाल का फौती नामान्तरकरण नं. 1140 रेस्पोडेंट नं. 1 के हक में 1/8 हिस्सा बाबत तस्दीक करने में कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से यह भी साबित था कि मृतक खातेदार की विवाहित पत्नी प्रतिवादी नं. 1 मांगू बाई दिनांक 29.06.1996 को बंशीलाल के जीवनकाल में ही अन्य व्यक्ति मुन्नालाल पुत्र भुवान निवासी गोलखेडी के नामक व्यक्ति से दूसरा विवाह कर उसके साथ पत्नी बनकर रह रही है इस बाबत दिनांक 29.06.1996 को एक शपथ पत्र भी पब्लिक नोटेरी से निष्पादित कराया था और मुन्नालाल से दूसरा विवाह करने के बाद मांगू बाई के मुन्नालाल से संतान भी हो गई है ऐसी स्थिति में विवादित आराजी पर मांगू बाई का कोई हक व अधिकार नहीं बनता। इस कानूनी बिन्दू पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया। रेस्पोडेंट नं. 1 बंशीलाल के जीवनकाल में ही अर्थात बंशीलाल की मृत्यु के करीब 23 वर्ष पूर्व ही बंशीलाल से पत्नी का संबंध समाप्त कर अन्य व्यक्ति मुन्नालाल से विवाह कर लिया ऐसी स्थिति में तहसीलदार गंगधार के द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत रेस्पोडेंट क्रम 1 के हक में 1/8 हिस्सा बाबत नामान्तरकरण तस्दीक करने में कानूनी त्रुटि की है उक्त नामान्तरकरण बिना जांच पडताल व कानूनी प्रावधानों के विपरीत खोला गया है जो अपीलांट के हितों के विरूद्ध गैर असर घोषित होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 संशोधन 2005 के प्रावधानों को समझने में कानूनी त्रुटि की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने शपथ पत्र दिनांक 29.06.1996 पर उचित गौर नहीं फरमाया जब रेस्पोडेंट नं. 1 बंशीलाल के जीवनकाल में ही अन्य व्यक्ति मुन्नालाल के

यहां चली गई और पत्नी के रूप में रह रही है जिससे उसके संतान भी हो गई है ऐसी स्थिति में पूर्व पति की जायदाद में रेस्पोडेंट का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है। इस कानूनी बिन्दू पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.05.2025 निरस्त फरमायी जावे एवं नामान्तरकरण सं. 1140 दिनांक 10.01.2022 अपीलांट के हितों के विरूद्ध अवैध घोषित किया जावे एवं दावा डिक्री कर दावे में वर्णित विवादित आराजी खसरा नं. 479, 491 कुल रकबा 0.4806 हेक्टर भूमि का 1/4 हिस्से का वादिनी को खातेदार घोषित किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.06.2025 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद बाबत् घोषणात्मक पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम गोलखेड़ी, तहसील गंगधार की खसरा नम्बर–479 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, 491 की रकबा 0.2656 हैक्टेयर कुल 0.4806 हैक्टेयर आराजी स्थित है। उक्त भूमि वादिनी के पिता श्री बंशीलाल आत्मज रतनलाल के खाते की है। वादिनी बंशीलाल की एक मात्र पुत्री है, बंशीलाल की मृत्यु दिनांक 08.12.2017 को हो गई है। बंशीलाल की पत्नी मांगू बाई ने प्रतिवादिनी नं.–1 बंशीलाल के जीवनकाल में ही दिनांक 29.06.1996 को दाम्पत्य सम्बंध समाप्त कर एक शपथ पत्र इस बावत् मान सिंह पब्लिक नोटरी से तस्दीक करावा कर बंशीलाल के जीवनकाल में ही सम्बन्ध समाप्त कर मुन्नालाल पिता भुवान, जाति बलाई, निवासी गोलखेड़ी से दूसरा विवाह कर लिया। इस प्रकार प्रतिवादिनी नं. 1 मांगू बाई बंशीलाल के जीवनकाल में ही मुन्नालाल के यहां चली गई और पत्नी बनकर रह रही है। मुन्नालाल से मांगू बाई के संतान भी हो गई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादिनी नं. 1 का बंशीलाल के खाते की आराजी में कोई हक व अधिकार नहीं रहा। परन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा बंशीलाल के 1/4 हिस्से पर बंशीलाल की पुत्री अनीता अपीलान्ट के साथ प्रतिवादिनी क्रम–1 अर्थात् रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम भी नामांतरकरण तस्दीक कर दोनों का 1/8–1/8 हिस्सा दर्ज कर दिया जो कानूनन

अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि साक्ष्य से दावा साबित नहीं होने से दावा खारिज कर दिया। इसलिए अपीलान्ट के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड से यह पूर्णतया साबित था कि विवादित आराजी में अपीलान्ट के पिता बंशीलाल का 1/4 हिस्सा था एवं बंशीलाल की मृत्यु दिनांक 12.08.2017 को हो चुकी है और बंशीलाल के 1/4 हिस्से पर नामांतरकरण केवल एक मात्र अपीलान्ट के हक में ही तस्दीक किया जाना चाहिऐ था। परन्तु नामांतरकरण नं.–1140 के जरिये रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के भी नाम नामांतरकरण तस्दीक कर दिया। जो अपीलान्ट के हितों के विरूद्ध बेअसर है। अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पूर्णतया साबित किया गया था कि प्रतिवादी नं. 1 मांगू बाई जो बंशीलाल की पत्नी थी उसने बंशीलाल के जीवनकाल में ही मुन्नालाल पुत्र भुवान, निवासी गोलखेड़ी नाम के व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया और मुन्नालाल के साथ उसकी पत्नी बनकर रह रही है। इस बाबत् एक शपथ पत्र दिनांक 29.09.1996 को मांगू बाई के द्वारा पब्लिक नोटेरी से निष्पादित कराया था एवं अन्य दस्तावेज आधार कार्ड नं.–935525127115 से भी मांगू बाई मुन्नालाल की पत्नी साबित है एवं वोटरलिस्ट क्रम–518 से भी मांगू बाई मुन्ना लाल की पत्नी साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है एवं दावा डिक्री होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्णतया साबित मांगू बाई जो बंशीलाल की पत्नी थी। अधीनस्थ न्यायानलय ने हिन्दू उत्तराधिकार नियम–1956 संशोधन 2005 के प्रावधानों पर उचित गौर नहीं फरमाया। न्याय हित में एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुऐ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 स्वीकार फरमाया जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय फरमाया जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.04.2025 निरस्त फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलांट को दस्तावेज पेश करने एवं प्रदर्शित करने एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं सदस्य
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम गोलूखेडी, पटवार क्षेत्र कोल्वी, तहसील गंगधार की जमाबंदी खाता संख्या 179 में कृषि भूमि खसरा नं. 479 रकबा 0.2150 हेक्टर तथा खसरा नं. 491 रकबा 0.2656 हेक्टर कुल 0.4806 हैक्टर स्थित है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में वादीनी के पिता श्री बंशीलाल पिता रतनलाल के हित हिस्से की है। वादीनी खातेदार बंशीलाल की एकलोती पुत्री है। खातेदार बंशीलाल की मृत्यु दिनांक 12.08.2017 को हो गयी है। मृतक खातेदार की पत्नी मांगूबाई प्रतिवादी क्रम 1 ने बंशी लाल खातेदार के जीवनकाल में ही दाम्पत्य संबंध समाप्त कर दिनांक 29.06.1996 को एक शपथ पत्र श्री मानसिंह परमार पब्लिक नोटेरी से तस्दीक करवाया है, जो पब्लिक नोटेरी द्वारा अपनी रजिस्ट्री क्रमांक 1711 दिनांक 29.06. 1996 को पंजीकृत किया गया है। प्रतिवादी क्रम 1 मांगुबाई ने सहखातेदार बंशीलाल से उसके जीवनकाल में ही दाम्पत्य सम्बन्ध समाप्त कर श्री मुन्नालाल पिता भुवान जाति बलाई निवासी गोलखेडी से दूसरा विवाह कर लिया है। प्रतिवादी क्रम 1 मांगूबाई अपने पति मुन्नालाल के साथ पत्नी बनकर रह रही है, जिससे मांगूबाई के संतान भी हो गयी है। इस कारण मांगूबाई का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हित अधिकार शेष नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी में वादिनी के अतिरिक्त प्रतिवादी क्रम 1 मांगूबाई का नाम हिस्सा 1/8 में दर्ज कर किया है जो अवैध है। प्रतिवादी क्रम 2 ता 12 वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड सहखातेदार होने से फॉर्मल आवश्यक पक्षकार बनाये गये है किन्तु उनके विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गयी है। अतः वाद वादीनी स्वीकार फरमाया जाकर वादिनी को ग्राम गोलखेडी तहसील गंगधार की कुल 4.4806 हैक्टर में वादीनी की 1/8 के बजाय 1/4 हित हिस्से का खातेदार कृषक घोषित कर प्रतिवादी क्रम 1 मांगुबाई का नाम वादग्रस्त आराजी से निरस्त फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2025 से पारित अपने निर्णय में अंकित किया कि वादिया द्वारा वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि प्रतिवादिया 1 द्वारा दूसरी शादी की गयी है और वह शादी वैध है तथा दूसरी शादी से उसके कोई संतान उत्पन्न हुई हो। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 व संशोधित 2005 के अनुसार अगर पत्नी अपने पति से बिना तलाक लिये दूसरी शादी करती है तो वह अमान्य व अवैध है। उसका पति की सम्पति में उतना ही अधिकार है जितना पुत्र/पुत्री का। वादिया द्वारा अपना वाद/पक्ष साबित करने मे असफल रहने के कारण एवं साक्ष्य के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया का वाद अस्वीकार किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट वादिया द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील पेश की है।

([illegible] मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2076–2079 ग्राम गोलखेडी तहसील गंगधार की खाता संख्या नया 179 पुराना 162 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4806 हेक्टर आराजी में बंशीलाल पुत्र रतनलाल हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2077 (वर्ष 2020) खाता संख्या 179 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4806 हेक्टर में अनिता पुत्री बंशीलाल हिस्सा 1/8 एवं मांगूबाई पत्नी स्वर्गीय बंशीलाल हिस्सा 1/8 दर्ज रिकार्ड है। सलंग्न मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी के अनुसार बंशीलाल पुत्र रतनलाल की मृत्यु दिनांक 12.08.2017 अंकित है। वादपत्र में अंकितानुसार मांगूबाई एवं बंशीलाल के विवाह विच्छेद से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादिया अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा आर्डर 41 नियम 27 एवं धारा 151 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा में मांगू बाई की अंगूठा निशानी वाला मूल शपथ पत्र, बंशीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटेरी अटेस्टेड कॉपी, विधानसभा क्षेत्र संख्या 120 डग की निर्वाचन नामावली की फोटोकॉपी पेश की है। अपीलांट द्वारा मांगूबाई का जो शपथ पत्र पेश किया गया है वह विवाह विच्छेद का विधि सम्मत दस्तावेज नहीं होने से विवाह को समाप्त नहीं करता क्योंकि तलाक केवल सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के आधार पर ही मान्य किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा अपने पिता बंशीलाल एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 के तलाक एवं प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 के दूसरे विवाह को साबित करने के लिए कोई विधि सम्मत दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/01/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)
अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अनिता पुत्री बंशीलाल पत्नी कैलाश चन्द, जाति मेहर, निवासी बोरखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड हाल निवासी सुवांसरा, तहसील सुवासरा, जिला मन्दसौर मध्यप्रदेश

.....अपीलांट

बनाम

1. मांगू बाई बेवा बंशीलाल, जाति बलाई पत्नी मुन्नालाल, जाति मेहर, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
2. अशोक नाबालिक पुत्र कालू लाल द्वारा संरक्षक माता गुड्डी बाई जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
3. गुड्डी बाई पत्नी स्व0 कालूलाल, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
4. गुड्डी बाई नाबालिक राघुलाल संरक्षक माता पुरी बाई, जाति बलाई निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
5. घनश्याम नाबालिक पुत्र कालू लाल द्वारा संरक्षक माता पुरीबाई, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
6. नरेश लाल नाबालिक पुत्र राघुलाल, द्वारा संरक्षक माता पुरी बाई, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
7. पुरा बाई पत्नी स्व. राघुलाल, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
8. मोहन लाल पिता ऊदा, जाति बलाई, निवासी रावनगुराडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
9. रामी बाई नाबालिक पुत्री राघुलाल द्वारा संरक्षक माता पुरीबाई पत्नी स्व0 राघुलाल, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
10. श्यामु बाई पुत्री स्व0 राघुलाल, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
11. श्यामलाल पिता स्व0 राघुलाल, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
12. सोनू बाई नाबालिक पुत्री कालू लाल द्वारा संरक्षक माता गुड्डी बाई, जाति बलाई, निवासी गोलखेडी, तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील गंगधार, जिला झालावाड राज0

... रेस्पोडेंट

अपील नं. 2025/128 व नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, गंगधार**
मु.द.नं 44/ 2022 निर्णय एवं डिक्री दिनांक – **15.04.2025**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 23 माह 12 सन् **2025**

हाजरी **श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट, **रेस्पोडेंटगण** अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.04.2025 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **16** माह **01** सन् **2026** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा